महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का एक विश्लेषण मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में

डॉ. फेमिनाज़ अख्तर खॉन
सहायक प्राध्यापक
खालसा लॉ कालेज, इन्दौर (म.प्र.)
Famenaaz786@gmail.com

सारांश –

भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध समाज की एक भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न रूपों में देखने को मिलते है सामान्य तौर पर परिवार एक महिला के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है तथा परिवार के सदस्य सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, लेकिन राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध पुरुषों एवं रिश्तेदारों की क्रूरता से संबंधित है जिसका परिणाम महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर भुगतती है इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली पीडा महिलाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है। भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध समाज के लिए एक चिंतनीय विषय है, महिला अपराध वर्तमान समाज की ही समस्या नहीं है बल्कि इसका इतिहास सदियों पुराना है. सदियों से महिलाएं अनेक प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न का शिकार होती रही है हालांकि वर्तमान में यह समस्या और अधिक विकराल रूप धारण करती जा रही है। मध्यप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है; विशेषकर सामूहिक बलात्कार जैसे अत्यंत गंभीर मामले। इन घटनाओं ने लोगों की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। यहां तक कि कठोर कानून का भी कोई असर नहीं दिख रहा है. किसी को आश्चर्य होता है कि उच्च शिक्षा, आर्थिक और तकनीकी विकास की ओर बढ़ रहे समाज में यह कैसे संभव हो सकता है। मीडिया ने इस समस्या को जनता के सामने उजागर करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शब्द कुंजी –बलात्कार, हिंसा, महिलाएँ, उत्पींड़न।

1

प्रस्तावना –

महिलाओं के खिलाफ हिंसा का तात्पर्य किसी महिला के खिलाफ, आमतौर पर किसी पुरुष द्वारा की गई शारीरिक या यौन हिंसा से है। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सामान्य रूपों में घरेलू दुर्व्यवहार , यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे कृत्य शामिल हैं । अपराधों ने मानव समाज की चिन्ताएं बढ़ा दी हैं। इसका मुख्य कारण कानून का कम असरदार होना, जन–जागरूकता की कमी, गलत परम्पराएं व सामाजिक रीति–रिवाज, महिलाओं द्वारा विरोध न करना, पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता आदि कुछ भी हो सकता ळें

महिला सशक्तीकरण के इस दौर में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा देश एवं समाज में सक्रिय विमर्श का हिस्सा नहीं बन पा रही है। ऐसा शायद इसलिए है, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाएं एक लंबे काल तक अवमानित और शोषण की शिकार रही हैं। सामाजिक परंपराओं, रीति–रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों का महिलाओं के उत्पीड़न में योगदान भी कम नहीं रहा। महिलाओं के प्रति शारीरिक हिंसा, अपहरण, यौन क्रूरता और उन पर तेजाब फेंकने जैसी घटनाएं आज भी सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों में उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती रहती हैं। सामाजिक परंपराओं, रीति–रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों का महिलाओं के उत्पीड़न में योगदान भी कम नहीं रहा। महिलाओं के प्रति शारीरिक हिंसा, अपहरण, यौन क्रूरता और उन पर तेजाब फेंकने जैसी घटनाएं आज भी सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों में उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती रहती हैं। महिलाओं के प्रति अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं, क्योकिं अपराधियों में कानून का भय नहीं है। उत्पीडन् होने पर महिलाएं समाज के डर से वे चुप रह जाती हैं। एक प्रमुख कारण सोशल मीडिया है, जहां अश्लील सामग्री की भरमार है। इस वजह से भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं, क्योकिं अपराधियों में कानून का भय नहीं है। उत्पीडन् होने पर पीड़ित महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा के जोखिम में एक बेहद कमजोर आबादी हैं। मानसिक बीमारी से ग्रस्त महिलाओं को अक्सर उनके परिवार द्वारा

अस्वीकार कर दिया जाता है, आमतौर पर जब मानसिक बीमारी शादी के तुरंत बाद प्रकट होती है, या शादी से पहले मानसिक बीमारी का तथ्य सामने आता है, मुख्य रूप से मानसिक बीमारी के व्यापक कलंक के कारण। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955,और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 , जैसे भारतीय कानूनों के अनुसार गंभीर, बार–बार होने वाली और अक्षम करने वाली मानसिक बीमारी विवाह की अमान्यता का आधार है। इस प्रकार, कई पति मानसिक बीमारी से पीड़ित अपनी पत्नियों को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में वे हमेशा पुनर्विवाह करने में सक्षम होंगे। हालाँकि, चूँकि इनमें से कई महिलाओं की शादी भारी दहेज के साथ की जाती है और चूँकि विवाह को एक स्थायी बंधन माना जाता है, इसलिए महिलाएँ और उनके परिवार विवाह की निरर्थकता को रोकने के लिए सभी प्रकार के उपाय अपना सकते हैं। इस प्रकार, जब सामाजिक उपाय विफल हो जाते हैं, तो कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध निवारण – महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को नियंत्रण करने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को और अधिक कटोर बनाया जाना चाहिए तथा उन्हें सुचारु रूप से लागू करना चाहिए। महिला विरुद्ध अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि ना हो इसके लिए स्वयं नारियों को सशक्त बनना होगा तथा उनके अपने हितों एवं अधिकारों को सुरक्षित करने के संदर्भ में बने कानूनों के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा साथ ही साथ आमजन में इसके प्रति जागरूकता विकसित करनी चाहिए । महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधी के लिए समाज के दोषी मानसिकता भी उत्तरदायी है. जिसके अंतर्गत लैगिक असमानता तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था की धारणाओं के आधार पर न सिर्फ महिलाओं को पुरुषों से कम आका जाता है बल्कि पुरुष द्वारा की जाने वाली महिला हिंसा को जायज ठहराया जाता है इसके लिए आवश्यक है कि लड़के और लड़की दोनों का समुचित समाजीकरण किया जाए ताकि समाज में व्याप्त इन धारणाओं को कमजोर कर, समानता आधारित सभ्य समाज की स्थापना की जा सके। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए अपराधी को दोषी ना ठहरा कर स्वय महिला को दोषी ठहराया जाता है तथा उस पर समाज द्वारा कई प्रकार

के गभीर आरोप लगाए जाते है उसे अपमानित किया जाता है जिस कारण पीडिता न्याय से वंचित रह जाती है तथा दोषी बच जाते है इसलिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध ना बढे, इसलिए समाज को पीडिता को इन विपरीत परिस्थितियों में सहयोग करने की आवश्यकता है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के नियंत्रण हेतु महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है तथा इस संदर्भ में सभी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है जैसे तात्कालिक शिकायत दर्ज कराने की सुविधा के साथ–साथ उन शिकायतों का जल्दी निस्तारण करना, सभी आकस्मिक नंबर संबंधी जानकारी को प्रसारित करना, पुलिस, न्यायालय एवं स्वयंसेवी संगठन इत्यादि द्वारा महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले क्रियाकलापों को प्रभावपूर्ण ढंग से संपन्न करना है।

निष्कर्ष –

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामले पुरातन भारतीय समाज एवं संस्कृति पर कलंक लगाते हैं और कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, भारत जैसे देश में जहां नारी को शक्ति माना गया है तथा उसकी कई रूपों में पूजा आराधना की जाती है तथा जिसे धर्म ग्रंथों में उच्च दर्जा प्राप्त है उसके लिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः आदि की बात की गई है. वहां नारियों की गरिमा अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले तथा उनको शोषण एवं उत्पीड़न की कगार पर खड़े कर उनके संपूर्ण जीवन को कष्टमय और दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर कर देने वाली स्थिति वास्तव में विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में शामिल किए जाने वाली भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को कटघरे में खड़ा करता है। महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं पर रोकथाम हेतु अपनी वर्षों पुरानी प्राचीन संस्कृति और उसके मूल्यों आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार एवं सम्मान देने की आवश्यकता है ताकि महिला गौरव एवं सम्मान को सामाजिक संवैधानिक एवं कानूनी रूप से संरक्षित एवं सुनिश्चित किया जा सके ।

संदर्भ ग्रंथ –

- नई दिल्ली राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय; 2011. भारत में अपराध सांख्यिकी; पृष्ठ 79
- महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा। मासूम डाइजेस्ट. क्रमांक 6–जून 2000
- महिलाओं के बाल यौन शोषण और उसके बाद यौन उत्पीड़न के विभेदक 1992; पृ.167–73.
- दिल्ली, भारत एकता लॉ एजेंसी; 2007 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005.
- आहूजा, राम (2016) सामाजिक समस्याएं रावत पब्लिकेशन, पृष्ठ क्रम 222–238
- चौधरी, नेहा (2020) नारी के विरुद्ध हिंसा सेज पब्लिकेशन, पृष्ठ क्रम 3–10
- क्राइम इन इंडिया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वॉल्यूम–1, 2019; 195–244
- क्राइम इन इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वॉल्यूम–1, 2018; 195–244
- क्राइम इन इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वॉल्यूम–1, 2017 195–244
- मल्होत्रा, ममता (2011) महिला अधिकार और मानव अधिकार प्रभात प्रकाशनरू पृष्ठ क्रम 13–17